न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लोहावट

पीठासीन अधिकारी :- श्री मांगीलाल (आर.ए.एस)

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या :- 07/2024

प्रार्थी	**बनाम**	**अप्रार्थीगण**
कमलकिशोर विश्नाई पुत्र सत्यनारायण विश्नोई जाति विश्नोई जाति विश्नोई निवासी लोहावट विश्नावास तहसील लोहावट जिला-फलौदी		तहसीलदार लोहावट

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956

उपस्थित :-प्रार्थी की ओर से :-अधिवक्ता श्री सुमेरसिंह चौहान

अप्रार्थी की ओर से :- श्री पैरोकार सरकार

-:: निर्णय ::- **दिनांक** 24.06.2024

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी के खातेदारी अधिकारो व कब्जा काश्त की कृषि भूमि तहसील लोहावट पटवार हल्का लोहावट विश्नाबास के राजस्व ग्राम लोहावट बिश्नाबास की सरहद में खेत खसरा नम्बर 2621/163 रकबा 0.1619 हैक्टेयर किस्म बारानी 3 भूमि आई हुई है। प्रार्थी के उक्त खसरा नम्बर 2621/163 की भूमि के पड़ोसी प्रार्थी के परिवार के सदस्य ही है जिनसे आपस में कोई विवाद नहीं है एवं एक तरफ पड़ोस मे सड़क है प्रार्थी अपनी भूमि का समपरिवर्तन करवाना चाहता है जिससे पूर्व वह अपनी उक्त भूमि की सीमाओं को पुख्ता करने के लिये प्रत्थरगढी करवाना चाहता है। प्रार्थी ने अपनी खातेदारी व कब्जा काश्त की प्रार्थना पत्र के पैरा संख्या 1 में वर्णित काश्त भूमि की पेमाईश के लिए तहसीलदार साहब लोहावट के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर नियमानुसार फीस जमा करवायी जिस पर उक्त भूमि की पेमाईश करने के लिए आदेश क्रमांक 113 पृष्ठ संख्या 14 दिनांक 05.12.2022 की पालना में दिनांक 21.03. 2024 को हल्का पटवारी लोहावट बिश्नाबास ने उक्त काश्त भूमि की पैमाईश कर मौका फर्द रुबरु मौतबिरान तैयार की प्रार्थी ने दिनाक 26.03.2024 को तहसीलदार लोहावट से मिलकर पैमाईश फर्द दिनांक 21.03.2024 के अनुसार प्रार्थी के खातेदारी अधिकारो की काश्त भूमि की पत्थरगढी करने का निवेदन किया तो उनके द्वारा न्यायालय हाजा से विधिक आदेश से ही पत्थरगढी किया जाना संभव बताया इसलिये यह प्रार्थना पत्र न्यायालय हाजा के समक्ष प्रार्थी की ओर से पेश

सहायक कलक्टर
लोहावट (जोधपुर)

Scanned with CamScanner

है। प्रार्थी अपनी खातेदारी अधिकारो की काश्त भूमि की पत्थरगढी हेतु राजकीय शुल्क अदा करने हेतु तत्पर है और वक्त पत्थरगढी कार्य हेतु मौके पर मजदूर एवं पत्थर की पट्टीया, चुना सिमेन्ट इत्यादी भी उपलब्ध करवाने हेतु तत्पर है।

अंत में निवेदन किया कि प्रार्थी खातेदारी अधिकारो व कब्जा काश्त की भूमि तहसील लोहावट पटवार हल्का लोहावट बिश्नावास के राजस्व ग्राम लोहावट बिश्नाबास की सरहद में खेत खसरा नम्बर 2621/163 रकबा 0.1619 हैक्टेयर भूमि की पैमाईश फर्द दिनांक 21.03.2024 के अनुसार पत्थरगढी करवाने का आदेश फरमावे एवं मौके पर शान्ति व्यवस्था के लिए भार साधक अधिकारी पुलिस थाना लोहावट को मौके पर उपस्थित रहने के लिए पाबन्द करावें अन्य कोई आदेश इस प्रार्थना पत्र की प्रकृति से प्रार्थी के हितकर जारी फरमावे।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थी तहसीलदार लोहावट का नोटिस तामिल शुदा प्राप्त हुआ जो शामिल निसल किया गया। अप्रार्थी की ओर से प्रार्थनापत्र का जवाब पेश किया गया जिसमें बताया गया कि प्रार्थना पत्र के पैरा संख्या 1 में वर्णित खसरा नम्बर 2621/163 का प्रार्थी जमाबन्दी में अनुसार खातेदार है। समपरिवर्तन से पूर्व भूमि की पत्थरगढी किया जाना उचित है। प्रार्थना पत्र में वर्णित दिनांक को पटवारी हल्का द्वारा खसरा नम्बर 2621/163 की भूमि की पैमाईश किया जाना सही वर्णित किया गया है। प्रार्थी की भूमि के पास से सड़क गुजरने के कारण समपरिवर्तन से पूर्व पत्थरगढी किया जाना न्यायोचित है। अतः जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी की काश्त भूमि की पत्थरगढी श्रीमान न्यायालय हजा के आदेश से संभव होने से पत्थरगढी से पूर्व पड़ौसियान को सुचित करते हुये पत्थरगढी करने का उचित निर्णय फरमावे।

प्रकरण में प्रार्थी की खातेदारी अधिकारों की ख.नं. 2621/163 ग्राम लोहावट विश्नावास की भूमि के कमशः ख.नं. 163/10 के पडौसी खातेदार तेजपाल पुत्र सत्यनारायण, ख.नं. 163/3044 व ख.नं. 163 के खातेदार सत्यनारायण पुत्र जगमालाराम सभी जाति विश्नोई निवासी लोहावट विश्नावास ने प्रार्थी के ख.नं. 2621/163 की काश्त भूमि की पत्थरगढी करने में सहमति प्रदान की है।

पत्रावली में उभयपक्ष की बहस सुनी गई। प्रार्थी अधिवक्ता ने बहस में बताया की प्रार्थी प्रकरण में वर्णित काश्त भूमि का खातेदार है जिसने नियमानुसार भूमि पैमाईश करवाई है। जिसकी प्रमाणित फर्द भी पेश कि है। प्रार्थी

सहायक कलक्टर
लोहावट (जोधपुर)

Scanned with CamScanner

अपनी खातेदारी की भूमि का संपरिवर्तन करवाना चाहता है। जिससे पूर्व वह अपनी उक्त भूमि की पत्थरगढी करवाना चाहता है। जिसमें सभी पडौसी खातेदारों ने सहमति प्रदान कर दी है। इसलिए हमारा प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जावे।

पैरोकार सरकार ने बहस में बताया कि पत्थरगढी करने से पूर्व पडौसियानं को सूचित करते हूए पत्थरगढी करने का उचित आदेश फरमावे।

हमने पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों एवं दस्तावेजी साक्ष्यो का ध्यानपूर्वक अवलोकन एवं मनन किया गया। ग्राम लोहावट विश्नावास के ख.नं. 2621/163 रकबा 0.1619 हैक्टेयर किस्म बी-3 की प्रमाणित जमाबंदी संवत 2074-2077 में प्रार्थी खातेदार दर्ज है। उक्त भूमि की पैमाईश फर्द दिनांक 21.03.2024 की प्रमाणित प्रति भी पत्रावली पर उपलब्ध है। उक्त दस्तावेजात से प्रार्थी अपनी उक्त भूमि की पत्थरगढी करवाने का अधिकारी पाया जाता है। इस प्रकार के आदेश से अभिलेख में किसी प्रकार की हेराफेरी होने का कोई अन्देशा नहीं है और न ही किसी प्रकार के अधिकार निर्धारित किये जाने है। इसलिए प्रार्थी का यह प्रार्थना पत्र न्यायहित में स्वीकर योग्य है।

आदेश

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार लोहावट को आदेश दिये जाते है कि ग्राम लोहावट विश्नावास तहसील लोहवट के ख.नं. 2621/163 रकबा 0.1619 हैक्टेयर भूमि की पैमाईश फर्द दिनांक 21.03.2024 के मुताबिक पत्थरगढी की जावे। मौके पर आवश्यक होने पर शान्ति व्यवस्था के लिए पुलिस थाना लोहावट से ईमदाद ली जाकर पत्थरगढी करवायी जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

निर्णय सरे इजलास आज दिनांक 24.06.2024 को सुनाया गया।

उप खण्ड अधिकारी लोहावट ★ जिला फलोदी ★

सहायक कलक्टर लोहावट (जोधपुर)

मांगीलाल (आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी लोहावट

Scanned with CamScanner